

# परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ

पत्रांक: 328 ईपीओ/17-09का0/06 भाग-5 टीसी

दिनांक: 05 मई, 2017

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,  
उ0प्र0 परिवहन निगम।
2. समस्त प्रबन्ध निदेशक,  
जे0एन0एन0यू0आर0एम0।

**विषय:** रिट याचिका संख्या 45202/13 श्री जागेश्वर सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित निर्णय दिनांक 20.07.2016 के अनुपालन के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रिट याचिका संख्या 45202/13 श्री जागेश्वर सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित निर्णय दिनांक 20.07.2016 के अनुपालन में दिनांक 18.01.2017 को अनन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की गयी थी।

उक्त के क्रम में क्षेत्रीय स्तर पर प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन के निस्तारण के उपरान्त मुख्यालय प्रेषित की गयी सूचना के आधार पर अर्ह पाये गये व्यक्तियों के नाम सूची में सम्मिलित करते हुए एवं अनर्ह पाये गये व्यक्तियों के अनर्हता का कारण उल्लेख करते हुए तथा मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.07.2016 के आलोक में समानादेश पारित किये जाने के क्रम में प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन एवं अनन्तिम वरिष्ठता सूची में सम्मिलित किन्तु ओवरएज हो जाने के कारण अन्तिम वरिष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं किये गये शिशिक्षु संविदा परिचालक का विवरण इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि पूर्व की भांति क्षेत्रीय कार्यालय एवं डिपो कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

ह0/-  
(एच0एस0 गाबा)  
मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन)

**प्रतिलिपि:** सहायक प्रबन्धक(ईडीपी), निगम मुख्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि निगम की वेबसाइट [www.upsrtc.com](http://www.upsrtc.com) पर दिनांक 18.01.2017 को जारी की गयी वरिष्ठता सूची की भांति प्रदर्शित करायें।

ह0/-  
(एच0एस0 गाबा)  
मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन)

# परिवहन निगम मुख्यालय

## लखनऊ

पत्रांक: 327 ईपीओ/17-09का0/06 भाग-5 टीसी

दिनांक: 05 मई, 2017

### -: कार्यालय आदेश :-

सीधी भर्ती के 910 परिचालक पदों के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा याचिका संख्या-45202/2013, जागेश्वर सिंह व अन्य में दिनांक 20.07.2016 को पारित निर्णय में टैग की गयी अथवा इसके आधार पर समान आदेश पारित कराकर प्रेषित की गयी याचिकाओं को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 20.07.2016 के आलोक में निस्तारित करते हुए अनन्तिम वरिष्ठता सूची कार्यालय आदेश 07ईपीओ/16-09 का0/06भाग-5टीसी दिनांक 18.01.2017 के द्वारा निगम की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के साथ ही निगम मुख्यालय, क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय एवं समस्त प्रबन्ध निदेशक, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के कार्यालय के सूचना पट पर इस आशय से प्रदर्शित/चस्पा की गयी थी, कि यदि किसी शिशिक्षु संविदा परिचालक अथवा संविदा परिचालक को अपने वरिष्ठता क्रम एवं दर्शित तथ्यों के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो साक्ष के रूप में सुसंगत अभिलेख सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 को प्रस्तुत करें।

दिनांक 18.01.2017 को जारी अनन्तिम वरिष्ठता सूची के क्रम में क्षेत्रीय प्रबन्धक के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति के प्रत्यावेदन के निस्तारण के पश्चात निगम मुख्यालय प्रेषित की गयी सूचना के अनुसार अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों को अन्तिम वरिष्ठता सूची में सम्मिलित करते हुए अनर्ह के सम्बन्ध में अनर्हता का कारण उल्लेख करते हुए सूचना **अनुलग्नक-1** एवं दिनांक 18.01.2017 को जारी अनन्तिम वरिष्ठता सूची में सम्मिलित किये गये किन्तु ओवरएज होने के कारण अन्तिम सूची में नाम सम्मिलित न किये जाने वाले शिशिक्षु संविदा परिचालक की सूचना **अनुलग्नक-2** के अनुसार प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक: अनुलग्नक-1 व अनुलग्नक-2

ह0/-  
(एच0एस0 गाबा)  
मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन)

**परिवहन निगम मुख्यालय**  
**लखनऊ**

पत्रांक: 326 ईपीओ/17-09का0/06 भाग-5 टीसी

दिनांक: 05 मई, 2017

**-: कार्यालय आदेश :-**

सीधी भर्ती के 910 परिचालक पदों के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा याचिका संख्या-45202/2013, जागेश्वर सिंह व अन्य में दिनांक 20.07.2016 को पारित निर्णय में टैग की गयी अथवा इसके आधार पर समान आदेश पारित कराकर प्रेषित की गयी याचिकाओं को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 20.07.2016 के आलोक में निस्तारित करते हुए अनन्तिम वरिष्ठता सूची कार्यालय आदेश 07ईपीओ/16-09 का0/06भाग-5टीसी दिनांक 18.01.2017 के द्वारा निगम की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के साथ ही निगम मुख्यालय, क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय एवं समस्त प्रबन्ध निदेशक, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के कार्यालय के सूचना पट पर इस आशय से प्रदर्शित/चस्पा की गयी थी, कि यदि किसी शिशिक्षु संविदा परिचालक अथवा संविदा परिचालक को अपने वरिष्ठता क्रम एवं दर्शित तथ्यों के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो साक्ष के रूप में सुसंगत अभिलेख सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 को प्रस्तुत करें।

दिनांक 18.01.2017 के पश्चात मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 20.07.2016 के क्रम में समान आदेश प्राप्त कर निम्नांकित रिट याचिकाएं जो कि प्रत्यावेदन के साथ प्रस्तुत की गयी थी, को मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.07.2016 के आलोक में निस्तारित करते हुए अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों को वरिष्ठता सूची में सम्मिलित किया गया है तथा अनर्ह पाये गये अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख सूची में नाम न सम्मिलित करने का कारण दर्शाया गया है।

क्र0 सं0	प्रत्यावेदक का नाम	प्रत्यावेदक के पिता का नाम	रिट संख्या	प्रत्यावेदन का निस्तारण
1.	श्री देवेन्द्र कुमार अवस्थी	श्री फूल सिंह अवस्थी	रिट सं0:6197/17	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
2.	श्री ब्रहमाशंकर	श्रीकृष्ण	रिट सं0:52039/13	निगम में कभी भी संविदा परिचालक के पद पर कार्य न करने के कारण
3.	श्री सुरेशचन्द्र	श्री लखन	रिट सं0:54387/16	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
4.	श्री अनिल कुमार सैनी	स्व0 हरीश चन्द्र सैनी	रिट सं0:6201/17	निगम में कभी भी संविदा परिचालक के पद पर कार्य न करने के कारण
5.	श्री मुहम्मद मिया	स्व0 अलताफ हुसैन	रिट सं0:6201/17	निगम में कभी भी संविदा परिचालक के पद पर कार्य न करने के कारण

6.	श्री मुन्ना बाबू सिंह	श्री राजा बाबू सिंह	रिट सं0:6201 / 17	निगम में कभी भी संविदा परिचालक के पद पर कार्य न करने के कारण
7.	श्री स्वतन्त्र कुमार पाठक	स्व0 अवधेश कुमार	रिट सं0:6201 / 17	निगम में कभी भी संविदा परिचालक के पद पर कार्य न करने के कारण
8.	श्री अवधेश कुमार शर्मा	श्री किशन लाल शर्मा	रिट सं0:6201 / 17	निगम में कभी भी संविदा परिचालक के पद पर कार्य न करने के कारण
9.	श्री स्वदेश कुमार सिंह	श्री त्रिवेनी सिंह	रिट सं0:6201 / 17	निगम में कभी भी संविदा परिचालक के पद पर कार्य न करने के कारण
10.	श्री दीनानाथ पाण्डेय		रिट सं0:7698 / 17	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
11.	श्री राजकुमार उपाध्याय	श्री रामसेवक उपाध्याय	रिट सं0:6192 / 17	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
12.	श्री गौहर अब्बास	श्री अख्तर हुसैन	रिट सं0:6467 / 17	निगम में कभी भी संविदा परिचालक के पद पर कार्य न करने के कारण
13.	श्री नारायण दास	स्व0 जगत राज	रिट सं0:5748 / 17	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
14.	श्री दिनेश प्रसाद गुप्त	श्री गया राम	रिट सं0:45993 / 17	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
15.	श्री दामोदर स्वरूप	श्री ओम प्रकाश	रिट सं0:6467 / 17	निगम में कभी भी संविदा परिचालक के पद पर कार्य न करने के कारण
16.	श्री क्षत्रपाल सिंह		रिट सं0:3046 / 17	निगम में कभी भी संविदा परिचालक के पद पर कार्य न करने के कारण
17.	श्री विश्वनाथ	स्व0 गुलाब राय	रिट सं0:6201 / 17	निगम में कभी भी संविदा परिचालक के पद पर कार्य न करने के कारण
18.	श्री शराफत हुसैन	श्री बन्ने बख्श	रिट सं0:6467 / 17	निगम में कभी भी संविदा परिचालक के पद पर कार्य न करने के कारण
19.	श्री रामभजन	श्री बुद्धसेन	रिट सं0:43975 / 13	सूची में पूर्व से ही नाम सम्मिलित है
20.	प्रदीप कुमार सक्सेना	स्व0 बनवारी लाल सक्सेना	रिट सं0:43975 / 13	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
21.	राजेश कुमार सक्सेना	श्याम लाल सक्सेना	रिट सं0:43975 / 13	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
22.	प्रमोद कुमार सक्सेना	जगदीश शरण सक्सेना	रिट सं0:43975 / 13	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह

23.	श्री बसन्त कुमार शर्मा	श्री ओम प्रकाश शर्मा	रिट सं0:6782 / 17	संविदा पर कार्यरत न होने के कारण
24.	श्री इशाक अली	श्री मुनीर खॉ	रिट सं0:6782 / 17	संविदा पर कार्यरत न होने के कारण
25.	श्री मुवीन अहमद	श्री इशियाक अहमद	रिट सं0:6782 / 17	संविदा पर कार्यरत न होने के कारण
26.	श्री राजेश कुमार कुलश्रेष्ठ	श्री सतीश चन्द्र	रिट सं0:6782 / 17	संविदा पर कार्यरत न होने के कारण
27.	श्री कालिका प्रसाद	श्री राम दुलारे	रिट सं0:6782 / 17	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
28.	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा	श्री के0बी0 लाल	रिट सं0:6782 / 17	संविदा पर कार्यरत न होने के कारण
29.	श्री रमेश चन्द्र लबानिया	श्री मख्खन लाल	रिट सं0:6782 / 17	संविदा पर कार्यरत न होने के कारण
30.	श्री कलीम अनवर	श्री सकीर हुसैन	रिट सं0:6782 / 17	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
31.	श्री प्रमोहन सिंह	श्री जोखी राम	रिट सं0:6201 / 17	मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.07.2016 के आलोक में तैयार की गयी चयन प्रक्रिया के अनुसार अनर्ह हैं।
32.	श्री मुकेश कुमार सक्सेना	स्व0 शिव शंकर जोहरी	रिट सं0:6201 / 17	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
33.	श्री विश्वनाथ	स्व0 गुलाब राय	रिट सं0:6201 / 17	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
34.	श्री दिनेश प्रसाद सिंह	श्री केशव प्रसाद सिंह	रिट सं0:45993 / 16	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
35.	श्री अशोक कुमार वर्मा	श्री केदार नाथ वर्मा	रिट सं0:45993 / 16	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
36.	श्री रामशरण सिंह	श्री शिवराम सिंह	रिट सं0:42363 / 13	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
37.	श्री हरिशचन्द्र वर्मा	श्री गणेश प्रसाद	रिट सं0:42363 / 13	संविदा पर कार्यरत न होने के कारण
38.	श्री महातम विश्वकर्मा	श्री स्व0 श्री अक्षैबरविश्वकर्मा	रिट सं0:32390 / 16	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
39.	श्री नौहबत सिंह	श्रीराम	रिट सं0:40501 / 13	सूची में नाम सम्मिलित किया गया।

40.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	श्री झिन्नू प्रसाद	रिट सं०:40501 / 13	संविदा पर कार्यरत न होने के कारण
41.	श्री चमनप्रकाश	श्री वेदराम	रिट सं०:40501 / 13	सूची में नाम सम्मिलित किया गया।
42.	श्री माता प्रसाद	श्री बाबूनन्दन	रिट सं०:40501 / 13	सूची में नाम सम्मिलित किया गया।
43.	श्री अयोध्या प्रसाद	श्री धनीराम	रिट सं०:40501 / 13	सूची में नाम सम्मिलित किया गया।
44.	श्री रामवीर सिंह	श्री राजपाल सिंह		कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
45.	श्री दयानन्द शर्मा	श्री कान्छी लाल शर्मा	रिट सं०:1293 / 17	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
46.	श्री मुनेश चन्द्र शर्मा	श्री ओमप्रकाश शर्मा	रिट सं०:1293 / 17	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
47.	श्री रघुवीर सिंह	श्री सुबेदार सिंह	रिट सं०:1293 / 17	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
48.	मेघ सिंह	श्री नौबत सिंह	रिट सं०:25834 / 16	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
49.	श्री हुकम सिंह	श्री फतेह सिंह	रिट सं०:25834 / 16	सूची में नाम सम्मिलित किया गया।
50.	श्री सूरजपाल	श्री चिम्मन लाल	रिट सं०:25834 / 16	सूची में नाम सम्मिलित किया गया।
51.	श्री चौहान सिंह गौतम	श्री कुवंर पाल सिंह	रिट सं०:25834 / 16	सूची में नाम सम्मिलित किया गया।
52.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	श्री झिन्नू प्रसाद	रिट सं०:25834 / 16	संविदा पर कार्यरत न होने के कारण
53.	श्री चन्द्रेश कुमार	श्री जवाहर राम	रिट सं०:25834 / 16	संविदा पर कार्यरत न होने के कारण
54.	श्रीराम सिंह	श्री कामता सिंह	रिट सं०:45993 / 16	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
55.	श्री आनन्द बाबू	श्री गिरजा बाबू	रिट सं०:45202 / 13	अर्हता के आधार पर सूची में नाम सम्मिलित किया गया।
56.	श्री अशोक कुमार वर्मा	श्री उदयनारयण वर्मा	रिट सं०:53665 / 16	संविदा पर कार्यरत न होने के कारण
57.	श्री राजकुमार दीक्षित	श्री कृष्ण चन्द्र दीक्षित	रिट सं०:432 / 439 / 16	अनन्तिम रूप से नाम सम्मिलित है। सेवा अभिलेख के परीक्षण के उपरान्त अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।
58.	श्री रमाकान्त प्रसाद	श्री महेश्वर प्रसाद	रिट सं०:63917 / 15	अनन्तिम रूप से नाम सम्मिलित है। सेवा अभिलेख के परीक्षण के उपरान्त अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

59.	श्री हृदयनन्द यादव		रिट सं०:68938 / 13	संविदा पर कार्यरत न होने के कारण
60.	श्री रविन्द्रपाल सिंह	श्री कैलाशीराम	रिट सं०:32389 / 13	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
61.	श्री राम सरन सिंह	श्री शिवराम सिंह	रिट सं०:6195 / 17	मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दि. 20. 07.2016 के आलोक में तैयार की गयी चयन प्रक्रिया के अनुसार अनर्ह हैं।
62.	श्री बच्चू सिंह	श्री अतर सिंह	रिट सं०:32389 / 16	कदाचार में संविदा समाप्त
63.	श्री महेन्द्र प्रकाश शर्मा	श्री भगवान दास शर्मा	रिट सं०:57687 / 16	निगम में कभी भी संविदा परिचालक के पद पर कार्य न करने के कारण
64.	श्री विनोद कुमार राजपूत	श्री रामसेवक	रिट सं०:8296 / 17	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
65.	श्री नेक राम	श्री देवी प्रसाद	रिट सं०:8296 / 17	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
66.	श्री जगदीश नरायण द्विवेदी	श्री उदय नरायण द्विवेदी	रिट सं०:8296 / 17	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
67.	श्री विजय सिंह यादव	श्री राम दास	रिट सं०:5748 / 17	मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.07.2016 के आलोक में तैयार की गयी चयन प्रक्रिया के अनुसार अनर्ह हैं।
68.	श्री महेन्द्रपाल	श्री बांधूलाल	रिट सं०:6467 / 17	निगम में कभी भी संविदा परिचालक के पद पर कार्य न करने के कारण
69.	आनन्द पाल सिंह		रिट सं०:5607 / 17	मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दि. 20. 07.2016 के आलोक में तैयार की गयी चयन प्रक्रिया के अनुसार अनर्ह हैं।
70.	श्री नरेन्द्र सिंह व अन्य 02		रिट सं०:7895 / 17	संविदा पर कार्यरत न होने के कारण
71.	श्री ब्रजपाल सिंह	श्री शिव सिंह	रिट सं०:6290 / 17	भ्रष्टाचार एवं कदाचार में संविदा समाप्त
72.	श्री मनोज कुमार सिंह	श्री गजराज सिंह	रिट सं०:6290 / 17	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
73.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	श्री हीरालाल	रिट सं०:6296 / 17	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
74.	श्री देवेन्द्र सिंह	श्री चम्पाराम	रिट सं०:8296 / 17	कदाचार में संविदा समाप्त होने के

				कारण अनर्ह
75.	श्री मुकेश कुमार	श्री दीना नाथ		अनर्ह होने के कारण सम्बन्धित क्षेत्र द्वारा नाम मुख्यालय नहीं भेजे जाने के कारण
76.	श्री इन्द्रदेव सिंह	श्री वेंकटरमन सिंह		कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
77.	श्री छानमान शुक्ला	श्री जंगीलाल शुक्ला	रिट सं०:10688 / 17	मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.07.2016 के अनुसार 5 वर्ष की निरन्तर सेवा अवधि पूर्ण न करने के कारण
78.	श्री जयप्रकाश			संविदा पर कार्यरत न होने के कारण
79.	श्री संजय कुमार श्री०	श्री गिरजा शंकर श्रीवास्तव		कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
80.	श्री दिनेश कुमार शर्मा	श्री अशरफी लाल शर्मा	रिट सं०:6782 / 17	संविदा पर कार्यरत न होने के कारण
81.	श्री आनन्द कुमार अवस्थी	श्री अवध बिहारी	रिट सं०:6476 / 17	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
82.	श्री शिवकान्त	स्व० बाबूलाल	रिट सं०:1560 / 17	मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.07.2016 के अनुसार 5 वर्ष की निरन्तर सेवा अवधि पूर्ण न करने के कारण अनर्ह हैं।
83.	श्री सत्यपाल	श्री हेतराम	रिट सं०:756 / 17	निगम में कभी भी संविदा परिचालक के पद पर कार्य न करने के कारण
84.	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव	श्री जगदीश लाल	रिट सं०:45993 / 16	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
85.	श्री विजय सिंह तोमर	श्री तेज सिंह तोमर	रिट सं०:7248 / 17	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
86.	मौ० हनीफ खॉ	श्री मुन्शी खॉ	रिट सं०:7248 / 17	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह
87.	श्री धूपचन्द्र	श्री सीताराम	रिट सं०:7029 / 17	कदाचार में संविदा समाप्त होने के कारण अनर्ह

उक्त के क्रम में शिशिक्षु संविदा परिचालक एवं संविदा परिचालक द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्तियों/प्रत्यावेदन के निस्तारण के पश्चात् समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा प्रेषित की गयी सूचनाओं को समाहित करते हुए तथ्यों के आधार पर प्रत्यावेदन का निस्तारण करते हुए अर्ह



पाये गये शिशिक्षु संविदा परिचालक एवं संविदा परिचालक का नाम सम्मिलित करते हुए संलग्न सूची पूर्व की भाँति उल्लिखित कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित/चस्पा की जा रही है।

सूची में सम्मिलित शिशिक्षु संविदा परिचालक एवं संविदा परिचालक द्वारा प्रस्तुत किये गये असत्य प्रमाण पत्र एवं सूचना अथवा अन्य किसी कारण से किसी व्यक्ति का सूची से नाम हटाये जाने की दशा में संवर्ग हेतु निर्धारित संख्या के अनुसार अन्य अर्ह शिशिक्षु संविदा परिचालक अथवा संविदा परिचालक का नाम सम्मिलित किया जायेगा।

संलग्न सूची में किसी भी क्रमांक पर अंकित व्यक्ति का नाम सूची से हटाने, क्रमांक बदलने का अधिकार निगम प्रबन्धन में निहित है। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति द्वारा सूची के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया दावा मान्य नहीं होगा।

ह0/—  
(एच0एस0 गाबा)  
मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन)